

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27/04/2018

क्रमांक: एफ 2-12/2016/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत राज्य में सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को कुछ सुविधाएँ/ प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं जैसे टेण्डर फॉर्म का निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना, प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने से छूट तथा क्रय प्राथमिकता। यही सुविधाएं स्टार्टअप्स को भी दी जाएं तदनुसार मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 25.3, 25.3.1 तथा 25.3.2 में "सूक्ष्म और लघु उद्यमों" के स्थान पर "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप" प्रतिस्थापित किया जावे तथा शासकीय क्रय में स्टार्टअप को क्रय में प्राथमिकता देने हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 25.2 निविदा में मूल्य कोटेशन (क) आरक्षित वस्तुएं तथा (ख) अनारक्षित वस्तुएं में "सूक्ष्म और लघु उद्यमों" के स्थान पर "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप" प्रतिस्थापित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल. कान्ता राव)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

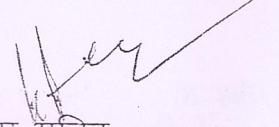
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 2-12/2016/अ-तेहत्तर

भोपाल, दिनांक २७/04/2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन
(समस्त विभाग)।
3. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव
4. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. समस्त निगम/बोर्ड/मण्डल
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
8. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।
11. समस्त सम्भागायुक्त, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
13. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।


उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग